राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2176 / 2014 / सवाईमाधोपुर

सीताराम सैनी पुत्र श्री बजरंगलाल सैनी
निवासी सैनी सदन, सोरती बाजार,
सवाईमाधोपुर। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक सवाईमाधोपुर।
2. श्री बाबूलाल पुत्र स्व. राधाकृष्ण
जाति माली निवासी बालता रोड,
परलीपार, सवाईमाधोपुर ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री भवानी सिंह
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
श्री रोहित सोनी
अभिभाषक ...अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.06.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) भरतपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 28.11.2013 प्रकरण संख्या 09 / 2013 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के पत्रांक 315 दिनांक 20.02.2013 से एक अपंजीकृत 100 रू के मुद्रांक व दो पाईप पेपर पर तहरीर मूल इकरारनामा रहन दिनांक 08.02.2000 श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री राधाकृष्ण जाति माली निवासी बालता रोड, परलीपार सवाई माधोपुर द्वारा श्री सीताराम सैनी पुत्र श्री बजरंग लाल सैनी जाति सैनी निवासी सैनीसदन सोरती बाजार सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के हक में निष्पादित कमी स्टाम्प व शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में

२८–

लगातार.....2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इकरारनामा रहन दिनांक 08.02.2000 के अनुसार ग्राम सवाई माधोपुर की कृषि भूमि आराजी किता 9 रकबा 5 बीघा वारानी दोयम का 1/2 हिस्सा का इकरारनामा रहन 40000/– रू पर किया गया तथा यह इकरार किया गया कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से ली गई राशि को 2 रू सैकडा महावार ब्याज दर से 1 वर्ष की अवधि में चुकता अदा कर रहन की गई आराजी को रहन मुक्त करा लेगा तथा 1 वर्ष में द्वितीय पक्ष को रहन की राशि मय ब्याज अदा करने में असमर्थ रहने पर प्रथम पक्ष अपने हिस्से की रहन की गई आराजी पर द्वितीय पक्ष को कब्जा सम्भला देगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत इकरारनामा पर राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडोप्शन) एक्ट 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 21 के तहत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू कन्वेन्स की दर मुद्राक का प्रभार्य मानते हुए विभागीय परिपत्र संख्या 25/10 क्रमांक एफ.7 (482)विधि/10/2004 दिनांक 31.08.2010 के अनुसार पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों एवं दस्तावेजों के न्याय निर्णयन एवं निस्तारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार के दस्तावेजों में उल्लेखित सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण दस्तावेज के कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुतिकरण के दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर निर्धारित किये जाने व मुद्रांक शुल्क की गणना कलक्टर (मुद्राक) के समक्ष प्रस्तुत होने की दिनांक को प्रभावी दर के आधार पर किये जाने के आधार पर संबंधित उपपंजीयक से मूल्यांकन रिपोर्ट चाही गई। अतः उपंपजीयक सवाईमाधोपुर से इकरारनामा रहन में वर्णित कृषि भूमि की वर्तमान मौकानुसार मूल्यांकन रिपोर्ट छायाप्रति में प्राप्त की गई। उपपंजीयक सवाईमाधोपुर ने अपने पत्रांक 331 दिनांक 09.11.2013 से प्रश्नगत भूमि का मूल्यांकन प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार किया जाकर मालियत रू. 3466022/– रू होना अवगत कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर सम्पत्ति की मालियत 34,66,022/– रू. मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर 1,73,310/– रू. निर्धारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने कमी मुद्रांक राशि रू. 1,73,910/– व शास्ति राशि रू. 1790/– कुल राशि रू. 175000/– बंधक ग्राहिता श्री सीताराम सैनी प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री रोहित सोनी उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

लगातार.....3

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि उन्हे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई विधिवत अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत मूल प्रतिफल की राशि पर मुद्रांक कर लगाया जाना चाहिए था। प्रश्नगत दस्तावेज इकरारनामा रहन है जो विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं आता। इस रहननामें में विक्रय का कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण में कब्जा भी सौपा नहीं गया है जिसके कारण इस दस्तावेज को विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। दस्तावेज बन्धक विलेख (Mortgage Deed) की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति मंदिर मूर्ति के नाम है जिसका हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

8. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रार्थी को निर्णय की जानकारी मांग वसूली की कार्यवाही से हुई है संतोषजनक एवं विश्वास योग्य होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. निगरानी में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय को मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत मूल प्रतिफल की राशि पर मुद्रांक कर लगाया जाना चाहिए था। प्रश्नगत दस्तावेज इकरारनामा रहन है जो विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं आता। इस रहननामें में विक्रय का कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण में कब्जा भी सौपा नहीं गया है जिसके कारण इस दस्तावेज को विक्रय पत्र की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। दस्तावेज बन्धक विलेख (Mortgage Deed) की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति मंदिर मूर्ति के नाम है जिसका हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति का विक्रय संभव नहीं होने के कारण कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

लगातार.....4

11. विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज ग्राम शहर सवाईमाधुपर ख. नं. 143 रकबा 4 बिस्वा ब–डोल, 151 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन झेरा, ख. नं. 152 रकबा 10 बिस्वा चा. 1, 153 रकबा चा. 1, खं.नं 154 रकबा 10 बिस्वा चा. 1, खं.नं 155 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा चा. 1, खं.नं 156 रकबा 19 बिस्वा चा. 1, खं.नं 157 रकबा 15 बिस्वा चा. 1, खं.नं 158 रकबा 5 बिस्वा ब–डोल कुल किता 9 कुल रकबा 5 बीघा में प्रथम पक्ष बाबूलाल के 1/2 भाग का इकरारनामा रहन 40,000/– प्रतिफल में द्वितीय पक्ष प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को यह दस्तावेज माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सवाईमाधोपुर से कमी स्टाम्प एवं शास्ति आरोपित कर सूचना भिजवाने हेतु प्राप्त हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में मौके पर कब्जा बाद में दिया जाना अंकित होने के आधार पर दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने के समय मूल्यांकन करते हुए कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर आदि वसूल करने के आदेश दिये है।

12. विचाराधीन प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि प्रश्नगत दस्तावेज को बन्धक पत्र की श्रेणी में मानकर मूल्यांकन किया जाये या कन्वेन्स की श्रेणी में मानकर। प्रश्नगत दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 08.02.2000 के अवलोकन से पता चलता है कि इसके द्वारा प्रथम पक्ष बाबूलाल के 1/2 भाग का इकरारनामा रहन 40,000/– प्रतिफल में द्वितीय पक्ष प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है। इस इकरारनामें में संबंधित मुख्य भाग निम्न प्रकार है :– " प्रथम पक्ष को पारिवारिक आवश्यक कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अपने हिस्सा 1/2 भाग आराजीयात खातेदारी हक की को **मुबलिग 40000/– रू में द्वितीय पक्ष को रहन कर दी है एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रथम पक्ष ने रहन की राशि चालीस हजार रू द्वितीय पक्ष से ली गई राशि को दो रूपया सैकडा महावार ब्याज दर से 1 वर्ष की अवधि में चूकता अदा कर रहन की गई आराजी को रहन मुक्त करा लेगा रहन की राशि का ब्याज हर माह द्वितीय पक्ष को अदा करता रहेगा** एवं रहन के दौरान अपने हिस्से 1/2 भाग आराजी को किसी अन्य के रहन व विक्रय नहीं करेगा व अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करेगा **प्रथम पक्ष द्वारा रहन की अवधि एक वर्ष में द्वितीय पक्ष को रहन की राशि मय ब्याज अदा करने में असमर्थ रहने पर प्रथम पक्ष अपने हिस्से की रहन की गई आराजीयात पर द्वितीय पक्ष को कब्जा सम्भला देगा** तथा उक्त आराजी द्वितीय पक्ष के दखली रहन हो जावेगी जिसे प्रथम पक्ष रहन की राशि मय ब्याज अदा करने पर ही द्वितीय पक्ष के दखली रहन से मुक्त करा सकेगा रहन की गई आराजी अब से पहले किसी अन्य के

लगातार.....5

रहन व विक्रय नहीं है व अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं है, जिस पर कोई ऋण बैंक का व अन्य का बकाया नहीं है, रहन की गई आराजीयात प्रथम पक्ष के खातेदारी स्वामित्व की त्रुटि से एवं अन्य कारण से द्वितीय पक्ष के कब्जे में न आ सके एवं द्वितीय पक्ष के कब्जे से निकल जावे तो रहन की राशि दो रू. सैकडा महावार ब्याज दर से प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से व उस की चल व अचल सम्पत्ति से द्वितीय पक्ष वसूल करने के हकदार रहेगें जिसके लिए द्वितीय पक्ष को कोई कानूनी कार्यवाही करनी पडे तो द्वितीय पक्ष कानूनी कार्यवाही का खर्चा प्रथम पक्ष से वसूल करने के हकदार रहेगे। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में तकासमा होने पर प्रथम के हिस्से आई 1/2 भाग आराजीयात ही द्वितीय पक्ष के रहन रहेगी। " रहननामें में किये गए उक्त अंकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कब्जा नहीं दिया गया है व मूल राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर कब्जा दिये जाने के संबंध में सशर्त उल्लेख है। किसी दस्तावेज को हस्तान्तरण पत्र की श्रेणी में मानने के संबंध में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है :–

Explanation - For the purpose of this article an agreement to sell an immovable property or an irrevocable power of attorney or any other instrument executed in the coure of conveyance or lease e.g. allotment letters, patta, licence etc. shall, in case of transfer of the possession of such property before, at the time of or after the execution of such instrument, be deemed to be a conveyance and the stamp duty there on shall be chargeable accordingly.

उपरोक्त विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि किसी दस्तावेज को तभी कन्वेन्स की श्रेणी में मानकर मूल्यांकन व मुद्रांक कर आदि की वसूली की जानी चाहिए यदि दस्तवेज के द्वारा कब्जा दिया गया हो। विचाराधीन प्रश्नगत दस्तावेज दस्तावेज के अनुसार कब्जा नहीं दिया गया है तथा दस्तावेज में सशर्त कब्जा देने का उल्लेख है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रकरण में बाद में कब्जा दिया गया हो। उपपंजीयक सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक 331 दिनांक 09.11.2013 में भी कब्जे का कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद में कब्जा दिये जाने के उल्लेख के आधार पर दस्तावेज को हस्तान्तरण पत्र की श्रेणी में माना है जो तथ्यों के अनुरूप नहीं है। अब रहननामे के संबंध में विधिक प्रावधान व दस्तावेज के तथ्यों पर विचार किया जाता है। राजस्थान मुद्रांक के अधिनियम के आर्टिकल 37 का संबंधित भाग निम्न प्रकार है :–

लगातार.....6

37	mortgage deed, not being an agreement relating to deposit of title-deeds, pawn or pledge (No.6) mortgage of a crop (No 38), security bond (No. 50)-	
	(a) **When possession of the property or any part of the property comprised in such deed** is given by the mortgagor or **agreed to be given.**	The same duty as on a conveyance (No. 21) for a **consideration equal to the amount secured by such deed.**
	(b) When possession is not given or agreed to be given as aforesaid.	The same duty as on a bond (No. 14) for the amount secured by such deed.

उपरोक्त विधिक प्रावधान 37(a) के अनुसार यदि दस्तावेज के द्वारा कब्जा दे दिया गया हो या दिये जाने के लिए करार किया गया हो तो ऐसे दस्तावेज पर वही शुल्क जो विलेख द्वारा प्रतिभूमि रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर लगता है, देय है तथा विधिक प्रावधान 37(b) के अनुसार यदि कब्जा नहीं दिया गया है तो या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है तो ऐसे दस्तावेज पर क्रम सं. 14 बॉण्ड पर लगने वाले दरों के आधार पर मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है। प्रश्नगत दस्तावेज के अनुसार कब्जा नहीं दिया गया है परन्तु दस्तावेज में सशर्त कब्जा देने का उल्लेख है जिससे इस दस्तावेज को 37(a) के अन्तर्गत माना जायेगा। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार दस्तावेज बन्धक विलेख की श्रेणी में आता है जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 37(a) के अन्तर्गत दस्तावेज में उल्लेखित प्रतिभूति रकम प्रतिफल राशि 40,000/– रू. पर मुद्रांक कर देय है।

14. विचाराधीन प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि रहननामा दिनांक 08.02.2000 का मूल्यांकन इस दस्तावेज के निष्पादन के समय प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए या दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने की दिनांक 25.03.2013 को प्रचलित बाजार दर पर। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 निम्न प्रकार है :–

37 - Examination and impounding of instruments

(1) Every person having by law or consent of parties authority to receive evidence, and every person incharge of a public office,except an officer of a police, before whom any instrument,chargeable, in his opinion, with duty, is produced or comes in the performance of his functions, shall, if it appears to him that such instrument is not duly stamped, impound the same.

(2) For that purpose every such person shall examine every instrument so chargeable and so produced or coming before him, in order to ascertain whether it is stamped with a stamp of the value and description required by the law in force in the State when **such instrument was executed or first executed :**

Provided that,-

(a) nothing herein contained shall be deemed to require any Magistrate or Judge of a Criminal Court to examine or impound, if he does not think fit so to do, any instrument coming before him in the course of any proceeding other than a proceeding under Chapter IX or Part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974);

(b) in the case of a Judge of a High Court, the duty of examining and impounding any instrument under this section may be delegated to such officer as the Court appoints in this behalf.

(3) For the purposes of this section in cases of doubt,-

(a) the State Government may determine what offices shall be deemed to be public offices; and

(b) the State Government may determine who shall be deemed to be persons incharge of public offices.

(4) When a person incharge of a public office, during the course of inspection or otherwise, detects from an instrument or copy thereof or when it appears therefrom to the person referred to in sub-section (1) that the instrument is not duly stamped, such person shall forthwith make a reference to the Collector in that matter.

(5) The Collector may, suo moto or on such reference, call for the original instrument for ascertaining whether it is duly stamped and the instrument so produced shall be deemed to have been produced or come before him in the performance of his functions and in case the original instrument is not produced within the period specified by the Collector, he may require the payment of the proper duty or the amount required to make up the same together with the penalty under section 44.

उपरोक्त धारा 37(2) के अनुसार दस्तावेज के निष्पादन के समय अपेक्षित मूल्य और विवरण की स्टाम्प से दस्तावेज स्टाम्पित होना चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा परिपत्र–द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है जो निम्न प्रकार है :–

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभगा राज.
"कर–भवन " अजमेर

क्रमांक एफ.7(39)जन/2013/पार्ट–II 10378 दिनांकः 17.10.2014

परिपत्र

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में किये गये संशोधनों के संबंध में।

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 39, 44, 51, एवं 53 में शास्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इन धाराओं तथा धारा 55 में दर्ज प्रकरणों में दिनांक 14.07.2014 से शास्ति की गणना निम्नानुसार होगी :–

लगातार.....8

दस्तावेज के अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित रहने की अवधि के लिए कमी मुद्रांक राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो लेकिन जो स्टाम्प शुल्क के दोगुने से अधिक नहीं हो।

2. धारा 37 में दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज एंव शास्ति की गणना –

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 37 के तहत कलक्टर (मुद्रांक) स्वयं या साक्ष्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति (न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर) या किसी लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत होता है या आता है और उसकी राय में ऐसा दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित नहीं है तो वह ऐसे दस्तावेज को जब्त कर लेगा।

साक्ष्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति (न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर) या किसी लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा जब्त दस्तावेज को क्रमशः धारा 42 की उपधारा (1) व (2) के प्रवधानों के अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) को रेफर किया जाता है।

धारा 37 के तहत स्वयं कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा जब्त दस्तावेजों एवं धारा 42 के अनुसार उसको रैफर किये गये दस्तावेजों पर कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 44 के तहत स्टाम्प ड्यूटी एवं पैनल्टी का निर्धारण किया जाता है। धारा 44 के अधीन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पैनल्टी को पक्षकार द्वारा जमा कराये जाने पर कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 46 के तहत उस दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

I. स्टाम्प ड्यूटी की गणना – सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. ब्याज की गणना – कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 44 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटोने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. शास्ति की गणना – धारा 44 के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नही हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दस्तावेज का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की तिथि 08.02.2000 को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए तथा परिपत्र के अनुसार इस पर ब्याज व शास्ति आरोपित किये जाने का

लगातार.....9

प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब भी प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किया है कि बाजार मूल्य का निर्धारण दस्तावेज के प्रस्तुत होने की तिथि को आधार मानकर किया जाना चाहिए जो कि विधिसम्मत नहीं है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 37(a) के अनुसार दस्तावेज में उल्लेखित प्रतिभूति रकम प्रतिफल राशि 40,000/– रू. पर मुद्रांक कर आदि की गणना दस्तावेज के निष्पादन के आधार पर उपरोक्त पैरा सं. 14 में उल्लेखित प्रावधान के आधार पर करते हुए तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

16. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य